न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 102 / 12
दायर दिनांक : 05.09.2012

अनवान

1. देवेन्द्र कुमार पिता शान्ति लाल गर्ग निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
2. मोड़ा पिता केसु रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
3. प्यारा पत्नी केसु रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
4. चन्द्रकान्ता पत्नि जडाव चन्द्र ब्राहमण निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ़।
5. भवाना पिता गोकल माली निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
6. हीरा पिता गोकल माली निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
7. सोहनलाल पिता माधवलाल ब्राहमण निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
8. खाना पिता छोगा माली निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. बदाम पत्नि गोपी लाल नाई निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
2. राजेन्द्र पिता जगदीश चन्द्र ब्राहमण निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
3. नारायण सिंह पिता देबी सिंह राजपूत निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
4. तेजसिंह पिता देबीसिंह राजपूत निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ –(मृतक वारिसान्)
   4/1 शिवराज सिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
   4/2 शिवशक्ति सिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ़।
   4/3 हेमुकंवर पत्नि तेजसिंह राजपूत निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ़।
5. गोविन्द सिंह पिता देबीसिंह राजपूत निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
6. राजेन्द्र कुमार माता धीसी बाई ब्राहमण निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
7. अमित कुमार माता धीसी बाई ब्राहमण निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
8. सतीश कुमार माता धीसी बाई ब्रहमण निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
9. बरखा माता धीसी बाई ब्राहमण निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश चन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री देवेन्द्र कुमार पोरवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली में स्थित आराजी संख्या 607, 575/1,575/2, 615,608,609,605/1,605/3,567,568,569 किता 11 [illegible] स्थित है। उक्त आराजी पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का एक मात्र कदीम [illegible] रास्ता ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ की आराजी नम्बर 549 बिलानाम रास्ते से [illegible] आराजी नम्बर 550/2 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश करते हुये 550/2 की पश्चिमी मेर के सहारे सहारे उत्तरी मेर होकर 550/1 की उत्तरी मेर पर 610 की पश्चिमी व उत्तरी मेर पर होकर अपनी आराजी पर पहुँचते है। उक्त आराजी पर करीब 14 फीट चोडा रास्ता मौजूद है परन्तु विपक्षीगण द्वारा आराजी नम्बर 550/2, 550 व 610, 611 के रास्ते को बन्द कर दिया। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिससे प्रार्थीया का अपनी जमीन पर पहुँचना असम्भव हो गया। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:35:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

अतः निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 607, 575/1,575/2, 615, 608, 609, 605/1, 605/3, 567, 568, 569 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूगि आराजी संख्या 550/2, 550/1, 551 व 610, 611 के पास रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। दिनांक 07.12.2014 को विपक्षी संख्या 3 से 5 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। जवाब में कथन किया कि विपक्षी की प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबे का विवरण दिया है जिसकी जानकारी विपक्षीगण को नही है। प्रार्थीगण स्वयं रकॉर्ड से साबित करावें। प्रार्थीगण ने जो विपक्षी संख्या बतायी 3 से 5 को छोड़कर शेष विपक्षी संख्या को प्रार्थीगण साबित करावें। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित रास्ता मौके पर मौजूद ही नही है। रास्ता जगह जगह अन्य खातेदारान द्वारा बन्द किया हुआ है यह तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। और रास्ता 14 फीट चौड़ा है यह भी गलत है। वास्तविक तथ्य यह है कि जब खोत खाली होते है तो प्रार्थीगण व विपक्षीगण आपसी सहमति से एक दूसरे की जमीन को बिना नूकसान पहूँचाये एक दूसरे की जमीन में होकर अपनी अपनी जमीनो पर पहूँचते है। यदि प्रार्थीगण रास्ता चाहते है तो विपक्षीगण रास्ता दे देगें परन्तु उक्त रास्ते के उपयोग में जितनी जमीन आयेगी उसका डी.एल.सी. दर से मुआवजा दिलावें। नियमानुसार उक्त रास्ते की भूमि का दुगनी राशि क्षतिपूर्ति हेतु हमे दिलायी जावें।

दिनांक 08.06.2017 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली की आराजी संख्या 607, 575/1,575/2, 615, 608, 609, 605/1, 605/3, 567, 568, 569 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 550/2, 550/1, 551 व 610, 611 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मांगा गया रास्ता लघुतम नही है। उक्त भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि कुल किता 4 रकबा 17 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जायेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 17 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा व खातेदारी भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 106120 रूपये प्रति बीघा से 90220 रूपये दुगुनी से 180440 रू. बनती है।

पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, दिनांक 08.06.2017 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर वर्तमान में आराजी संख्या 607, 575/1,575/1,575/2, 615, 608, 609, 605/1, 605/3, 567, 568, 569 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 550/2, 550/1, 551 व 610, में से रास्ते हेतु मांग किया है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(II) () के अनुसरण में ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 607, 575/1,575/2, 615, 608, 609, 605/1, 605/3, 567, 568, 569 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण की ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली में स्थित आराजी संख्या 550/2, 550/1, 551 व 610, में से 14 फिट रास्ते हेतु कुल 17 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा। विपक्षीगण के आराजियात में से रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 106120 रूपये प्रति बीघा से 17 बिस्वा का 90220 रूपये बनती है। दुगुनी दर 180440 रूपये बनती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थी द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राज[illegible]03–00–00 में प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.गु. रास्ता दर्ज करने का आदेश कि[illegible]जा[illegible]है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार [illegible] उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:35:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को लिखवाया ज[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Scanned with CamScanner